

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 82] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 17, 1982/फाल्गुन 26, 1903
No. 82] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 17, 1982/PHALGUNA 26, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय

अधिलेखना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1982

सा०का०नि० 252(अ).—6 मार्च, 1982 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित
प्रादेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन आदेश, 1982

राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 35 द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार)
प्रादेश, 1971 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रादेश करते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इस प्रादेश का नाम हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार)
संशोधन प्रादेश, 1982 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल (भत्तों और विशेषाधिकार) आदेश, 1971 के पैरा 8 को उसके उप-पैरा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित संख्य पैरा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(2) पैरा 7 में निविष्ट भत्तों और विशेषाधिकारों के अतिरिक्त शिमला में राजभवन को पुनः सुसज्जित करने के लिए 1981-82 वर्ष के दौरान 8,30,000 रु० की रकम हिमाचल प्रदेश राज्य की संवित निधि पर भारित की जाएगी और उसमें से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को दी जाएगी।”

राष्ट्रपति

[सं० 3/1/81-स्टेट्स]

ए०एस० मेहता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 1982

G.S.R. 252(E).—The following Order made by the President on the 6th March, 1982 is published for general information :—

The Governor of Himachal Pradesh (Allowances and Privileges) Amendment Order, 1982

In exercise of the powers conferred by section 35 of the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970), the President hereby makes the following Order to amend the Governor of Himachal Pradesh (Allowances and Privileges) Order, 1971, namely :—

1. (1) This Order may be called the Governor of Himachal Pradesh (Allowances and Privileges) Amendment Order, 1982.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the official gazette.

2. In the Governor of Himachal Pradesh (Allowances and Privileges) Order, 1971, paragraph 8 shall be renumbered as sub-paragraph (1) thereof and after sub-paragraph (1) as so renumbered the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

“(2) In addition to the allowances and privileges referred to in paragraph 7, there shall be charged on and paid out of the Consolidated Fund of the State to the Governor of Himachal Pradesh an amount of Rs. 8,03,000 during the year 1981-82 for refurbishing the Raj Bhavan at Simla.”

PRESIDENT

[No. 3/1/81-States]

A. S. MEHTA, Jt. Secy.